

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्रीमती तारामणी

निवासी मकान नं. 942/22

न्यू गणेश स्टोन साकेत नगर, अजमेर

जिला अजमेर।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी

तहसीलदार शिवगंज

किरम मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 41 वर्ष 2026

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.03.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 170, खाता संख्या 26 व पुराना खाता संख्या 25 के रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रति एवं उक्त भूमि के नामान्तरकरण रिकॉर्ड की प्रति, नक्शा एवं विभाग में उपलब्ध कोई भी अन्य सम्बन्धित रिकॉर्ड की फोटो प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 20.01.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली तहसील शिवगंज के खसरा संख्या 170, खाता संख्या 26 व पुराना खाता संख्या 25 के रजिस्टर्ड सेल डीड की प्रति एवं उक्त भूमि के नामान्तरकरण रिकॉर्ड की प्रति, नक्शा एवं विभाग में उपलब्ध कोई भी अन्य सम्बन्धित रिकॉर्ड की फोटो प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही